Journal of Science and Research Innovations

Volume - 4, Issue - 1, June 2026 ISSN: 2583-9004 (ONLINE)

Received: 23-05-2026 **Revised**: 25-05-2026 **Accepted**: 31-05-2026

"सतना जिले में महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा का विश्लेषणात्मक अध्ययन"

* डॉ. के.डी. तिवारी
फैकल्टी
विधि विभाग
अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

* * खुषबू वर्मा
शोधार्थी
एल–एल.एम.
अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

अमूर्त –

घरेलू हिंसा भारत में एक व्यापक समस्या है जो हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह एक जटिल मुद्दा है जिसके कई अंतर्निहित कारण हैं, जिनमें लैंगिक असमानता, आर्थिक तनाव और मादक पदार्थों का सेवन शामिल है। घरेलू हिंसा शारीरिक हिंसा से लेकर भावनात्मक शोषण तक कई रूप लेती है और पीड़ितों के लिए इसके गंभीर परिणाम होते हैं, जिनमें शारीरिक और मानसिक नुकसान, सामाजिक अलगाव और यहां तक कि मृत्यु भी शामिल है।

हाल के वर्षों में, घरेलू हिंसा के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ी है और इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास किए गए हैं। भारत सरकार ने घरेलू हिंसा के पीड़ितों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए हैं और संगठन और सहायता समूह इस मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं।

इन प्रयासों के बावजूद, घरेलू हिंसा भारत में एक महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है। कई पीड़ित सामाजिक कलंक, बदले की कार्रवाई के डर और समर्थन प्रणालियों की कमी के कारण दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने से हिचकते हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू हिंसा के कई अपराधियों को उनके कृत्यों के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जाता है, जिससे दुर्व्यवहार का एक चक्र बना रहता है। इस शोध का उद्देश्य घरेलू हिंसा के कारणों, प्रभावों और निवारक उपायों का पता लगाना है।

मुख्य शब्दः– घरेलू हिंसा, लिंग आधारित हिंसा, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण।

प्रस्तावना –

घरेलू हिंसा एक बहुआयामी सामाजिक एवं कानूनी अवधारणा है, जिसका संबंध परिवार या घरेलू संबंधों के भीतर होने वाले किसी भी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न या हिंसा से है। सामान्यतः घरेलू हिंसा का अर्थ है – ऐसी कोई भी क्रिया, व्यवहार या आचरण, जिसके माध्यम से परिवार के किसी सदस्य, विशेषकर महिला, को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक या यौन रूप से नुकसान पहुँचाया जाए।[1]

शैक्षणिक दृष्टि से घरेलू हिंसा को केवल शारीरिक आक्रमण तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि इसमें वे सभी क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं जो किसी महिला की स्वतंत्रता, गरिमा एवं मानवाधिकारों का उल्लंघन करती हैं।

परिभाषा

भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अनुसार घरेलू हिंसा का अर्थ है– "ऐसा कोई भी कृत्य, आचरण या व्यवहार जो महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग, मानसिक या शारीरिक कल्याण को हानि पहुँचाता हो।"

इस अधिनियम में घरेलू हिंसा को निम्न रूपों में वर्गीकृत किया गया हैः

घरेलू हिंसा एक व्यापक सामाजिक समस्या है जिसने दुनिया भर में महिलाओं को प्रभावित किया है, भले ही उनकी उम्र, नस्ल, जातीयता, धर्म और सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यह एक ऐसा मुद्दा है जो सदियों से चला आ रहा है और महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण खतरों में से एक बना हुआ है। घरेलू हिंसा के प्रभाव शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से

[1] राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (NCRB) अपराध के आकड़े। https: // ncrb.gov.in/sites/default/files/srime.in India 2022

दर्दनाक हो सकते हैं और अवसाद, चिंता और पोस्ट–ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसे दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं।

अनुसंधान अध्ययनों में स्थापित किया गया है कि घरेलू हिंसा महिलाओं को समझने, देखने और गलती के पारंपरिक दृष्टिकोणों में से एक है। जिन महिलाओं ने घरेलू हिंसा का अनुभव किया है उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित होने की अधिक संभावना है। उनकी शिक्षा, रोजगार और वित्तीय संसाधनों तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है, और यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और समुदाय के सदस्यों का ध्यान समान रूप से आकर्षित करता है।

इस शोध पत्र का उद्देश्य महिलाओं पर घरेलू हिंसा के मूल कारणों, व्यापकता और प्रभाव को समझने पर ध्यान देने के साथ महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा का समाजशास्त्रीय अध्ययन करना है। नारीवादी अनुसंधान उन सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की जांच के महत्व पर जोर देता है जो घरेलू हिंसा में योगदान करते हैं, जैसे कि लैंगिक असमानता, शक्ति असंतुलन और सांस्कृतिक एवं सामाजिक मानदंड जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा को अनदेखा करते हैं। घरेलू हिंसा के सामाजिक संदर्भ का विश्लेषण करते हुए, इस शोध पत्र का उद्देश्य इस मुद्दे की जटिलताओं को गहराई से समझना और प्रभावी नीति और हस्तक्षेप रणनीतियों की सिफारिश करना है।

घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005–

महिलाओं के प्रति हिंसा भारतीय समाज के लिए नई समस्या नहीं है। क्योंकि भारतीय समाज की महिलाएं प्रारंभ से ही अत्याचार, यातना और शोषण की शिकार रही हैं। भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में विद्यमान है। घरेलू हिंसा से भारतीय समाज की महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा कानून बनाया गया है।

घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका मूल उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है। यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। इस कानून के तहत घरेलू हिंसा के दायरे में अनेक प्रकार की हिंसा व दुर्व्यवहार शामिल किये गये हैं। भारतीय संविधान में घरेलू हिंसा से संबंधित कुल 13 धाराएं हैं। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करना।

शोध परिकल्पनाः

शोध परिकल्पना किसी भी अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण घटक होती है, जिसके माध्यम से शोधकर्ता अध्ययन की दिशा निर्धारित करता है। परिकल्पना वह अनुमानित कथन होती है, जिसे शोध के माध्यम से सत्यापित या असत्यापित किया जाता है।

सतना जिले में महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए निम्नलिखित परिकल्पनाएँ निर्धारित की गई हैं, जो सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारकों पर आधारित हैं।

मुख्य परिकल्पनाएँ

परिकल्पना –1

सतना जिले में घरेलू हिंसा के वास्तविक मामले दर्ज मामलों की तुलना में अधिक हैं।

व्याख्याः

कई महिलाएँ सामाजिक दबाव, परिवार की प्रतिष्ठा एवं कानूनी जागरूकता के अभाव के कारण शिकायत दर्ज नहीं करातीं। इसलिए आधिकारिक आँकड़े वास्तविक स्थिति को पूर्णतः प्रदर्शित नहीं करते।

परिकल्पना –2

पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण है।

व्याख्याः

सतना जिले में पारंपरिक सोच के कारण पुरुषों को परिवार में अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जिससे महिलाओं पर नियंत्रण एवं हिंसा की संभावना बढ़ जाती है।

परिकल्पना –3

आर्थिक निर्भरता महिलाओं को घरेलू हिंसा सहने के लिए बाध्य करती है।

व्याख्याः

जब महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती, तो वह हिंसा के बावजूद परिवार में रहने को मजबूर होती है।

परिकल्पना –4

अशिक्षा एवं कानूनी जागरूकता की कमी घरेलू हिंसा को बढ़ावा देती है।

व्याख्याः

शिक्षा की कमी के कारण महिलाएँ अपने अधिकारों एवं कानूनों (जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005) के बारे में जानकारी नहीं रखतीं।

परिकल्पना –5

शराब एवं नशे की प्रवृत्ति घरेलू हिंसा की घटनाओं में वृद्धि करती है।

1.घरेलू हिंसा से संबंधित महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के एक्ट से लिया गया है और यह 26 अक्टूबर 2006 को प्रवृत्त किया गया है।

व्याख्या:
ग्रामीण एवं अर्ध–शहरी क्षेत्रों में शराब सेवन घरेलू विवादों एवं हिंसा का प्रमुख कारण पाया गया है।

परिकल्पना –6
सामाजिक दबाव एवं परिवार की प्रतिष्ठा के कारण महिलाएँ शिकायत दर्ज नहीं करातीं।

व्याख्या:
समाज में बदनामी के डर से महिलाएँ हिंसा को सहन करती रहती हैं। महिलाओं का अपने मानवाधिकारों के प्रति जागरूक होने व अपने संवैधानिक रूप से अधिकारों से परिचित करवाना।
भारत सरकार के द्वारा महिलाओं को केंद्र बिंदु मानकर अपनी योजनाओं का निर्माण करना चाहिए जिससे वह अधिक से अधिक भागीदारी कर सके।
महिलाओं के द्वारा आधुनिक उपकरण का प्रयोग किया जाना जिससे उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी हो सके व आत्मविश्वास में वृद्धि हो और वह हिंसा का विरोध कर सके।
घरेलू हिंसा के मूल कारण जटिल और जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए, लैंगिक असमानता घरेलू हिंसा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह पुरुषों और महिलाओं के बीच पद्धति शक्ति संबंधों को मजबूत करती है और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सामान्यीकरण में योगदान देती है। पितृसत्तात्मक मूल्य, आर्थिक निर्भरता और मादक द्रव्यों के सेवन को बढ़ावा देने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों जैसे अन्य कारक भी घरेलू हिंसा में योगदान कर सकते हैं। इस मुद्दे को रोकने और इसके समाधान के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करने के लिए घरेलू हिंसा के मूल कारणों की व्यापक समझ आवश्यक है।
महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा का प्रभाव बहुत व्यापक एवं गंभीर होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, वैश्विक स्तर पर तीन में से एक महिला ने अपने जीवनकाल में किसी अंतरंग साथी द्वारा शारीरिक और यौन हिंसा या गैर–साथी द्वारा हिंसा का अनुभव किया है। घरेलू हिंसा एक व्यापक समस्या है।
महिलाओं पर घरेलू हिंसा का प्रभाव बढ़ता और गहरा होता है। जिन महिलाओं ने घरेलू हिंसा का अनुभव किया है, उनमें अवसाद, चिंता, पोस्ट–ट्रोपिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और पुराने दर्द जैसी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के विकसित होने का खतरा अधिक होता है। वे सामाजिक और आर्थिक बाधाओं, शिक्षा, रोजगार और वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुंच और जीवन की गुणवत्ता में कमी का अनुभव करने की अधिक संभावना रखते हैं।
घरेलू हिंसा का प्रभाव व्यक्तियों से परे होता है और यह बच्चों, परिवारों और समुदायों को भी प्रभावित कर सकता है। घरेलू हिंसा को रोकने और मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण के लिए महिलाओं और उनके समुदायों पर इसके प्रभाव को समझना आवश्यक है।
इस शोध पत्र का उद्देश्य महिलाओं पर घरेलू हिंसा के मूल कारणों, व्यापकता और प्रभाव को समझने पर ध्यान देने के साथ महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा का एक अपराधशास्त्रीय एवं समाजशास्त्रीय अध्ययन करना है। यह शोध पत्र घरेलू हिंसा के समाजशास्त्रीय पहलुओं की जांच करेगा और इस समस्या के मूल कारणों को निर्देशित करने के महत्व पर जोर देता है, घरेलू हिंसा को समाप्त करने और यह सुनिश्चित करने में सहायक रणनीति कर सकते हैं कि सभी महिलाएं सुरक्षित, शिक्षित और गरिमापूर्ण जीवन जीने में सक्षम हों।

शोध पत्र का उद्देश्य
इस शोध पत्र का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के समाजशास्त्रीय पहलुओं की पड़ताल करना है। इसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मूल कारणों की समझना और विभिन्न सामाजिक समूहों में इसकी व्यापकता की जांच करना है। शोध पत्र का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को जारी रखने में सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों की भूमिका का विश्लेषण करते हुए महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर घरेलू हिंसा के प्रभाव का पता लगाना है, साथ ही उन नीतियों और हस्तक्षेपों की पहचान करना है जो महिलाओं[1] के खिलाफ घरेलू हिंसा को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकते हैं।

1. महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा के मूल कारणों की समझना है। घरेलू हिंसा एक जटिल मुद्दा है और इसमें योगदान देने वाले अंतर्निहित कारणों को समझना इसे संबोधित करने और रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। मूल कारणों की पहचान करके, नीति निर्माता और समुदाय के सदस्य इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप विकसित कर सकते हैं।
2. महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर घरेलू हिंसा के प्रभाव का पता लगाना है। घरेलू हिंसा का महिलाओं के स्वास्थ्य पर शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से दीर्घकालिक और हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। इन प्रभावों की जांच करके,

1. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। wcd.nc.in
अपराध सांख्यिकीय रिपोर्ट। http://ncrb.gov.in

अनुसंधान घरेलू हिंसा के पीड़ितों के उपचार की योजना बनाने वाली सेवाओं और देखभाल में सुधार के लिए नीति निर्माताओं और स्वास्थ्य पेशेवरों को साक्ष्य आधारित जानकारी प्रदान कर सकता है।

3. उन नीतियों और हस्तक्षेपों की पहचान करना है जो महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकें। घरेलू हिंसा को रोकने और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रभावी नीतियों और हस्तक्षेप महत्वपूर्ण हैं। सफल हस्तक्षेपों और नीतियों की पहचान करके, अनुसंधान भविष्य के हस्तक्षेपों के विकास की सूचना दे सकता है जिन्हें व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर लागू किया जा सकता है।

शोध विधि –

प्रस्तुत अध्ययन को पूर्ण के लिए शोधार्थी द्वारा निहित प्रश्नावली के द्वारा स्वेच्छिक निर्दशन विधि द्वारा समाज के विभिन्न वर्गो की महिलाओं से इकाई के रूप में सतना जिले के पाँच गांव का चयन किया गया। जिनसे प्राप्त जानकारी का सारणीयन करके मास्टर चार्ट तैयार किया गया तथा उसका विश्लेषण व व्याख्या प्रस्तुत की गई है, साथ ही साथ शोध समस्या से सम्बंधित विभिन्न न्यायिक निर्णय, पुलिस रिपोर्ट , पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं, जर्नल्स व इंटरनेट आदि का उपयोग किया गया।

आँकड़ों का वर्गीकरण एवं सारणीकरण

किसी भी शोध में आँकड़ों का वर्गीकरण एवं सारणीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक माध्यम से एकत्रित डेटा को व्यवस्थित, सरल एवं विश्लेषण योग्य बनाया जाता है। इस अध्याय में संख्यात्मक तथा गुणात्मक डेटा को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है।

सारणीबद्ध एवं प्रस्तुतीकरण

(1) आयु के आधार पर

सरणी क्र0–1

आयु वर्ग	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत (%)
18–25	25	25
26–35	35	35
36–45	20	20
45 वर्ष से अधिक	20	20

सरणी क्र.01 में के अध्ययन से स्पष्ट है कि साक्षात्कार में जिन महिलाओं को सामिल किया है जिनमें 18–25 वर्ष के बीच में 25 प्रति., 26–35 के बीच में 35 प्रति., 36 से 45 वर्ष के बीच 20 प्रति. व 45 वर्ष से अधिक 20 प्रति. महिलाये सामिल की गई।

ग्राफ–01

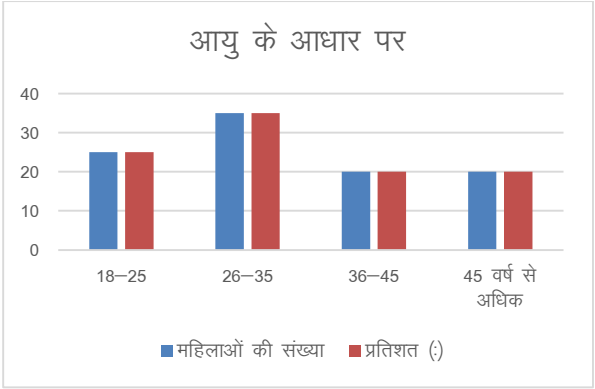

सतना जिले में घरेलू हिंसा– डेटा तालिका

(2) सतना जिले में घरेलू हिंसा–प्रमुख कारण

सरणी क्र02

क्र.सं.	कारण	प्रतिशत (%)
1	शराब / नशा	42
2	आर्थिक समस्या	20
3	पितृसत्तात्मक सोच	18
4	अशिक्षा	12
5	अन्य	8

उपरोक्त सारणी क्र02 के अध्ययन से स्पष्ट है कि शराब व अन्य नशे के कारण 42 प्रति. घटनाये घटित होती, आर्थिक समस्या के कारण 20 प्रति., पुरुष वर्ग की प्रधानता के कारण 18 प्रति., अशिक्षा के कारण 12 प्रति. व अन्य कारणों से 8 प्रति. घटनाये घटित हासेती है। अर्थातः सर्वाधिक घटनाओं को कारित करने में योगदान शराब व अन्य नशे का होता है।

ग्राफ–02

2.Book, अग्रवाल आर. के. (2016) भारतीय समाज में महिला एवं अपराध, नई दिल्लीः साहित्य भवन प्रकाशन Websitesः ई शोध गंगा (shodhganga)– shodhganga.inflibnet.acoin.

1. जिला स्तर पुलिस रिकॉर्ड (सतना जिला) –स्थानीय स्तर पर र्दज घरेलू हिंसा के मामलो की जानकारी

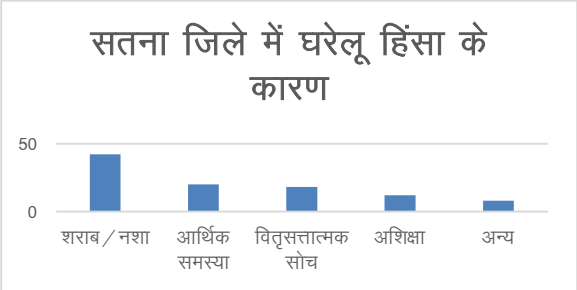

(3) हिंसा के प्रकार

सरणी क्र0–3

क्र.सं.	कारण	प्रतिशत (%)
1.	शारीरिक हिंसा	40
2	मानसिक हिंसा	30
3.	आर्थिक हिंसा	18
4.	यौन हिंसा	12

उपरोक्त सारणी क्र03 के अध्ययन से स्पष्ट है कि शारीरिक हिंसा की घटनाये 40 प्रति., मानसिक हिसा से 30 प्रति., आर्थिक हिंसा से 18 प्रति. व यौन हिंसा के कारण 12 प्रति. घटनाये घटित होती है। अर्थातः सर्वाधिक घटनाये शारीरिक हिंसा के रूप में घटित होती हैं।

ग्राफ–03

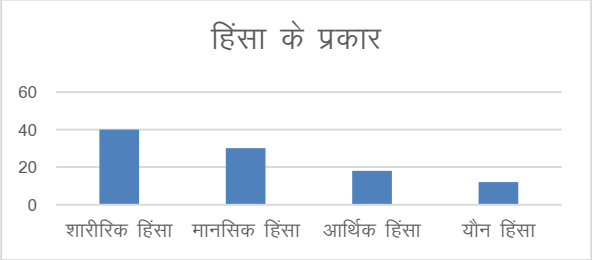

आंकड़ों का विष्लेषण

प्रस्तुत शोध "सतना जिले में महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा का विश्लेषणात्मक अध्ययन'' के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि घरेलू हिंसा एक गंभीर एवं बहुआयामी सामाजिक समस्या है, जो न केवल महिलाओं के व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि परिवार एवं समाज की समग्र संरचना पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है।

अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि सतना जिले में घरेलू हिंसा की घटनाएँ विशेष रूप से 26–35 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित महिलाओं में अधिक पाई जाती हैं। यह वह आयु वर्ग है जिसमें महिलाएँ पारिवारिक जिम्मेदारियों एवं सामाजिक अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती हैं, जिसके कारण वे मानसिक एवं सामाजिक दबाव का अधिक सामना करती हैं।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सतना जिले में घरेलू हिंसा की समस्या सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारकों से गहराई से जुड़ी हुई है, जिसके समाधान के लिए बहुआयामी प्रयासों की आवश्यकता है। केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन, जन–जागरूकता, महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा के प्रसार पर भी समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है।

निष्कर्ष

उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है कि यदि समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान, समानता एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता विकसित की जाए, तो घरेलू हिंसा जैसी गंभीर समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यह अध्ययन नीति–निर्माताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी दिशा–निर्देश प्रदान करता है।

सुझाव

घरेलू हिंसा या महिला उत्पीड़न की समस्या पर अनेक विद्वानों ने अध्ययन मनन और चिंतन किया है। इस समस्या का अध्ययन वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता प्रतीत होती है क्योंकि इस प्रकार के अध्ययन से ही इस समस्या के मूल तक पहुँचा जा सकता है और तभी इनका उचित उपचार संभव है। इसके साथ ही महिला की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि महिला अपने प्रति हो रहे अत्याचार को सहने के बजाय उनका संघर्ष करें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके तथा न्यायिक प्रक्रिया व पुलिस प्रशासन को भी महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों के प्रति विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है

संदर्भ ग्रंथ सूची

(1) पुस्तकें

- अग्रवाल, एच. के. (2015) – भारतीय समाज में महिला एवं अपराध, नई दिल्लीः
- प्रकाशन संस्थान।
- सिंह, आर. के. (2018) –अपराधशास्त्र एवं दण्डशास्त्र, लखनऊः विधि प्रकाशन।
- शर्मा, पी. डी. (2016) – समाजशास्त्र के सिद्धांत, आगराः साहित्य भवन ।
- गुप्ता, एस. पी. (2014) –शोध पद्धति एवं सांख्यिकी, इलाहाबादः शारदा पुस्तक भवन ।
- जैन, वी. के. (2019) – महिला अधिकार एवं कानून, जयपुरः यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन।

(2) शोध पत्र एवं जर्नल

- कुमार, अजय (2017) सामाजिक कार्य जर्नल। "भारत में घरेलू हिंसाः कारण एवं परिणाम'', भारतीय।
- सिंह, सीमा (2019) –"ग्रामीण भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा'', सामाजिक विज्ञान जर्नल।
- वर्मा, रेखा (2020) –"घरेलू हिंसा का महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव'', अंतरराष्ट्रीय शोध जर्नल।
- मिश्रा, नेहा (2021) –"महिलाओं के विरुद्ध अपराध और कानूनी संरक्षण", विधि शोध पत्रिका।
- तिवारी, पूजा (2018) –"घरेलू हिंसा एवं महिला सशक्तिकरण", समाजशास्त्र जर्नल।

(3) सरकारी रिपोर्ट एवं दस्तावेज

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) – Crime in India Report (विभिन्न वर्ष)।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) रिपोर्ट।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार – वार्षिक रिपोर्ट।
- मध्य प्रदेश शासन–महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण रिपोर्ट।

(4) कानून एवं अधिनियम

- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005।
- भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860।
- दहेज निषेध अधिनियम, 1961।